लोक-सभा

सोमवार, १ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

३-५ म० प०

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता सम्बन्धी वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर दिया जो कि न केवल इस सदन के अधिकतर सदस्यों के मन में है बल्कि देश के अनेक व्यक्तियों के भी। इसका सम्बन्ध हाल ही में प्राप्त हुए उस पत्र से है जो संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने इसके बारे में जारी किये गये वक्तव्य की एक प्रति के साथ मेरे पास भेजा है। मुझे पत्र २४ फरवरी को प्राप्त हुआ तथा मेरे विचार में वह पत्र और वक्तव्य प्रेस में २६ फरवरी को प्रकाशित हो गये थे। माननीय सदस्यों ने उन्हें पढ़ा है और मैं उन्हें यहां नहीं पढ़ूंगा, किन्तु निर्देश की सुविधा के लिये मैं उस पत्र और वक्तव्य तथा अपने उत्तर की एक एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं।

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को भेजा गया पत्र जो २४ फरवरी, १९५४ को प्राप्त हुआ।

"प्रिय प्रधान मंत्री जी,

मैं आपके पास यह व्यक्तिगत संदेश इसलिये भेज रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के सम्बन्ध में मैंने जो निश्चय किया है, उसकी सूचना जनता को मालूम होने से पूर्व आपको प्राप्त हो जाये। मैं आपको स्वयं इस बात से भी सूचित करना चाहता हूं कि इस कार्यवाही से भारत के प्रति हमारी मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, हम अपने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे।

हमारी दोनों सरकारें इस बात से सहमत हैं कि शान्ति के सम्बन्ध में उनकी आकांक्षाएं एक जैसी हैं। वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में यदि हमारी व्याख्या अलग अलग हो और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के साधनों के सम्बन्ध में यदि हम भिन्न मत रखते हों, यह तो माना ही गया है कि प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों को अपनी इच्छानुसार निर्णय करने का अधिकार है। म ने मध्यपूर्व में सम्भव्य आक्रमण का मुकाबला करने की समस्या का बहुत समय से ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और मेरा यह विश्वास है कि सुरक्षा-सम्बन्धी समस्याओं

के बारे में पाकिस्तान और तुर्की के बीच विचार विनिमय से न केवल पाकिस्तान और तुर्की का ही बल्कि समूचे स्वतन्त्र संसार का हित होगा। पाकिस्तान के प्रतिरक्षात्मक सामर्थ्य में सुधार होने से भी सारे स्वतन्त्र संसार के हितों की रक्षा हो सकेगी और इसी दृष्टि से हमारी ओर से यह सहायता प्रदान की जायेगी इस विषय के सम्बन्ध में इस सरकार के विचार एक सार्वजनिक वक्तव्य में व्यक्त हैं जिसको मैं जारी करूंगा और जिसकी एक प्रति राजदूत एलेन आपको दे देंगे।

हम जो कुछ करने का सोच रहे हैं और जिससे पाकिस्तान सहमत है, वह किसी भी रूप में भारत के विरुद्ध नहीं है। और मैं खुले आम इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि यदि किसी देश को, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, दी जाने वाली हमारी सहायता का दुरुपयोग किया गया और उसका दूसरे पर आक्रमण के लिये प्रयोग किया गया तो मैं इस प्रकार के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिये अविलम्ब, अपने वैधानिक अधिकारों के अनुरूप संयुक्तराष्ट्र संघ में और उसके बाहर भी उपयुक्त कार्यवाही करूंगा। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान-तुर्की पारस्परिक सहायता समझौता, जिसके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है, इस बात का काफी सबूत है कि दोनों देशों का उद्देश्य केवल प्रतिरक्षा ही है।

मैं जानता हूं कि आप और आप की सरकार इस बात को भली भांति समझते हैं कि स्थिरता और शक्ति के लिये प्रथम आवश्यक बात आर्थिक प्रगति करना है। इस देश की सरकार ने इस बात को समझते हुये, भारत को सहायता प्रदान की है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कांग्रेस से सिफारिश कर रहा हूं कि पर्याप्त आर्थिक और टैकनिकल सहायता देना जारी रखा जाये। स्वतन्त्र संसार के हितों की दृष्टि से भी हमारा यह विश्वास है कि भारत की सैनिक प्रतिरक्षा-क्षमता सुदृढ़ रहनी चाहिये और हमने उस तौर-तरीके की भी सराहना की है जिससे आपकी सरकार ने अपने देश की सैनिक व्यवस्था का प्रबन्ध-संचालन किया है। यदि आपकी सरकार यह तय करे कि परिस्थितियों के अनुसार उस प्रकार की सैनिक सहायता लेनी आवश्यक है जैसी हमारे पारस्परिक सुरक्षा-कानून में निर्दिष्ट है तो आप विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना पर मैं अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

मुझे खेद है कि इस विषय के बारे में निराधार अफवाहें फैलाई गई हैं। अब जो सारी बातें मालूम हो गई हैं, मुझे आशा है कि हमारे निर्णय का वास्तविक अभिप्राय समझा जायेगा।

आपका शुभचिन्तक,
ड्वाइट डी० आइज़नहावर"

राष्ट्रपति आइज़नहावर द्वारा दिया गया वक्तव्य

गत १९ फ़रवरी को पाकिस्तान और तुर्की ने कई मामलों के बारे में—जिनमें शान्ति और सुरक्षा-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के तरीके भी शामिल हैं—और अधिक परस्पर सहयोग के तरीके ढूंढने के इरादे की घोषणा की थी। इस सरकार ने उनके इस कदम का स्वागत किया। अब पाकिस्तान की सरकार ने अमरीका से सैनिक सहायता मांगी है।

मैंने बारम्बार यह कहा है कि आक्रमण से सुरक्षा के लिये प्रादेशिक संगठनों की स्थापना अपने अस्तित्व की रक्षा करने और प्रगति की ओर अग्रसर होने का सबसे अधिक प्रभावकारी तरीका है। आज के युग में कोई

राष्ट्र अकेला रह कर अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। गत ३० जून को कांग्रेस को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में मैंने कहा था कि हमें प्रादेशिक आधार पर राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक एकीकरण की दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों का प्रोत्साहन देना चाहिये। अतएव मुझे कांग्रेस द्वारा प्रदान किये गये अधिकार के अन्तर्गत पाकिस्तान का अनुरोध स्वीकार करने में प्रसन्नता है, लेकिन यह सहायता अपेक्षित प्रतिरक्षा सहायता—कार्यक्रम सम्बन्धी समझौता होने के बाद ही दी जा सकेगी।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समझौते के अन्तर्गत मिलने वाले शस्त्रास्त्र, सामग्री तथा सेवायें केवल सहायता लेने वाले देश की आन्तरिक सुरक्षा कायम रखने, न्याय संगत तरीके से अपनी आत्मरक्षा करने या उस प्रादेशिक संगठन, जिसका वह अंग हो, के क्षेत्र की रक्षा में भाग लेने के लिये ही प्रयुक्त की जा सकेगी। सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी देश को यह जिम्मेदारी भी अवश्य लेनी पड़ती है कि वह किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध किसी प्रकार की आक्रमणात्मक कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। ये जिम्मेदारियां समस्त राष्ट्रों को—चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा तथा उनकी अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां कुछ भी क्यों न हों—पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती हैं कि जो शस्त्रास्त्र अमरीकन स्वतन्त्र विश्व की सुरक्षा के लिये उपलब्ध करेगा, वे किसी प्रकार भी उनकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे। मैं कह सकता हूं कि यदि अमरीका द्वारा किसी भी देश को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, दी जाने वाली सहायता का दुरुपयोग किया गया या उसका किसी अन्य देश पर आक्रमण करने में प्रयोग किया गया तो मैं अपने वैधानिक अधिकारी के अनुसार ऐसे आक्रमण के प्रतिकार के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में और उससे बाहर भी तत्काल उपयुक्त कार्यवाही करूंगा। और आगे कार्यवाही करने के सम्बन्ध में म कांग्रेस से भी परामर्श करूंगा।

संयुक्त राज्य अमरीका की यह हार्दिक इच्छा है कि मध्य पूर्व में अधिक से अधिक स्थिरता और शक्ति हो जैसा कि उसने स्वतंत्र संसार के अन्य भागों में भी चाहा है। उसका विश्वास है कि इस क्षेत्र के लोगों की अपने निजी ढंग से जीवन को बनाये रखने तथा विकसित करने और अपनी इच्छानुसार सामाजिक प्रगति करने की स्पृहा को पूरा करने के लिये सबसे उचित उपाय यह है कि इस क्षेत्र की शक्ति बढ़ाई जाये ताकि कोई आक्रमण न कर सके तथा आक्रमण का भय भी कम हो जाये। यदि उसकी सहायता मांगी जाय तो संयुक्त राज्य अमरीका इस प्रयास में सहायता करने के लिये तैयार है।

मेरा उत्तर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। यह एक छोटा सा उत्तर है और इसलिये मैं इसे सदन में पढ़ कर सुना दूंगा।

"प्रिय राष्ट्रपति जी,

मैं आपको आपके उस व्यक्तिगत सन्देश के लिये धन्यवाद देता हूं जो दिल्ली स्थित आपके राजदूत ने मुझे २४ फरवरी को दिया था। इस सन्देश के साथ संयुक्त राज्य द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के बारे में आपके वक्तव्य की प्रति भी थी। आपने जो आश्वासन दिया है मैं उसको समझता हूं। फिर भी, आप इस सम्बन्ध में मेरी सरकार तथा हमारे लोगों के विचार जानते हैं। वे विचार और नीति, जिन्हें हमने बहुत सोचने समझने के पश्चात् अपनाया है, हमारी इस इच्छा पर आधारित हैं कि हम शान्ति और स्वतन्त्रता को बढ़ाने में सहायक हों हम उस नीति का अनुसरण करते रहेंगे।"।

[श्री जवाहरलाल नहरू]

उत्तर यह है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ और शब्द कहना चाहूंगा जैसा कि सदन को मालूम ही है राष्ट्रपति आइज़नहावर ने अपने पत्र में कुछ आश्वासन दिये हैं तथा यह भी बतलाया है कि उनके उद्देश्य क्या हैं। मैं ने कभी भी इस सदन में किसी भी व्यक्ति या देश के उद्देश्यों को चुनौती नहीं दी है--मैं उनके उद्देश्यों का विश्लेषण नहीं कर सकता। हमें तथ्यों पर, जैसे भी वे हों, विचार करना होगा। जहां तक राष्ट्रपति आइज़नहावर का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि भारत के प्रति उनकी कोई दुर्भावना नहीं है, वह भारत का भला ही चाहते हैं और वह कोई ऐसा कदम नहीं उठायगे जिससे भारत को हानि पहुंचे। यह उद्देश्यों का सवाल नहीं है बल्कि कुछ परिणामों का जो कुछ कार्यवाहियों से निकलते हैं। और पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने के मामले में हमें यही प्रतीत हुआ है कि इसके परिणाम बुरे ही होंगे। कहा गया है कि यह सहायता पाकिस्तान को केवल मज़बूत बनाने के लिये दी जा रही है जिससे वह आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके तथा सुरक्षा और शान्ति बनाये रखे। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि किस प्रकार के आक्रमण की आशंका की जाती है तथा कहां से यह आक्रमण होने की सम्भावना है। मेरे विचार में पाकिस्तान पर किसी ओर से आक्रमण होने की सम्भावना नहीं है; किन्तु इस मसले पर और अधिक प्रकाश डालने के लिये संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने एक या दो दिन पहले ही न्यूयार्क में कुछ बातें कह कर अपना भय प्रगट कर दिया था। उन्होंने कहा था, "हम इस बात की प्रत्याभूति चाहते हैं कि एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हमें अकेला छोड़ देंगी।" उनका अभिप्राय चीन और भारत से था। यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि चीन पाकिस्तान पर किस प्रकार आक्रमण कर सकता है--क्या वह काराकोरम दर्रे से होता हुआ पाकिस्तान में आयेगा या वह और किसी तरह से। जहां तक भारत का सम्बन्ध है मेरे विचार में मुझे सदन को फिर से यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और आगे कहूंगा।

जहां तक सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने का सम्बन्ध है इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य है कि जब से इस सहायता की घोषणा की गई है तब से असुरक्षा तथा तनातनी और भी बढ़ गई है। जैसा कि मैंने बतलाया उद्देश्य चाहे जो भी हो परिणाम यही हुआ है कि भारत और पाकिस्तान में जो परिस्थितियां थीं वे वैसी नहीं रहीं और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। एशिया के अन्य देशों, पश्चिमी देशों आदि में भी यह भावना घर करती जा रही है कि स्थिति नाजुक हो चली है और लोग डरने लगे हैं कि न जाने क्या परिणाम निकलें।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है सदन को याद होगा कि हम पाकिस्तान के सामने पिछले तीन वर्षों से लगातार 'युद्ध-निषेध की घोषणा' का प्रस्ताव रखते रहे हैं। युद्ध-निषेध घोषणा को अधिक स्पष्ट शब्दों में अनाक्रमण संधि कहा जा सकता है। हमने यह प्रस्ताव अनेक बार रखा है तथा पाकिस्तान ने कुछ न कुछ कारण बतला कर इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। यदि इस प्रकार की किसी घोषणा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया होता तो आज दोनों देशों और आसपास के क्षेत्रों में तनातनी कम हो जाती तथा दोनों देशों में अधिक सुरक्षा की भावना फैली हुई होती। इससे हमें उन समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती जो कि हमारे सामने खड़ी हुई हैं। संयुक्त

राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को जो सैनिक सहायता दी जा रही है उस पर हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करना है कि पाकिस्तान ने हमारी युद्धनिषेध घोषणा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया है। मैं यह कह सकता हूं कि इस बात की कल्पना करना भी आसान नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में चीन या भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है चाहे उद्देश्य कुछ भी क्यों न हों। मैं मामले की ठोस बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कह रहा हूं।

तो फिर, आक्रमण का प्रश्न कैसे उठता है और किस तरह इसके आधार पर पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी जा रही है? मुझे तो इसके लिये कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यदि पाकिस्तान अपने आप को आर्थिक रूप से और, सामान्य अर्थ में, सैनिक रूप से भी मज़बूत बनाता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा; परन्तु अब जो तरीका अपनाया गया है वह सामान्य तरीक़ा नहीं। इस तरीक़े से सामान्य स्थिति में अन्तर हो गया है और इससे शान्ति भंग होने का खतरा है।

अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान को जो सैनिक सहायता दी जा रही है, उसका वह आक्रमण-कार्य में उपयोग नहीं करने देंगे। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति आक्रमण के विरुद्ध हैं। परन्तु विगत अनुभव से हम यह जानते हैं कि आक्रमण होता है और उसे रोका नहीं जाता। साढ़े छः वर्ष हुए काश्मीर पर हमला हुआ जिसके बड़े भयंकर परिणाम निकले; परन्तु अमरीका ने अभी तक उसकी निन्दा नहीं की है और हमसे कहा जाता है कि विश्व-शान्ति के हित में हम इस विषय पर ज़ोर न दें। इसी तरह आक्रमण फिर हो सकता है और कहा जा सकता है कि यह आक्रमण नहीं है, जैसा कि पिछले आक्रमण के समय उस वक़्त तक कहा जाता रहा था, जब इसे छिपाना असम्भव हो गया। यदि इस प्रकार के आक्रमण के लिये मार्ग सुगम कर दिया जायेगा तो यह आक्रमण फिर होगा, चाहे अमरीका उसे रोकने की कितनी ही इच्छा रखे। फिर वर्षों तक चर्चा होती रहेगी कि यह आक्रमण है या नहीं। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता से इस प्रकार के आक्रमण के लिये प्रोत्साहन मिल जायेगा।

अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि हम अमरीका से सैनिक सहायता की प्रार्थना करें तो वह उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इस विचार को प्रकट करने में राष्ट्रपति ने हमारे साथ या स्वयं अपने साथ न्याय नहीं किया है। पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का विरोध करते हुए भी यदि हम स्वयं इसे स्वीकार करते हैं तो हम ढोंगियों और बिना सिद्धान्त वाले अवसरवादियों की तरह व्यवहार करेंगे।

जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को जो सैनिक सहायता दी जा रही है उससे हमारे लिये भारत में और एशिया में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे भारत और पाकिस्तान की आपसी समस्याओं को सुलझाना और कठिन हो जायेगा। भारत और पाकिस्तान के लिये इन समस्याओं का सुलझाना और पड़ौसियों के रूप में अपनी भौगोलिक स्थिति तथा सामान्य इतिहास की दृष्टि से, मित्रता एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना बहुत आवश्यक है। ये समस्यायें तब ही हल हो सकती हैं जब ये दोनों देश, बिना दूसरे लोगों के हस्तक्षेप के, स्वयं इन्हें हल करने का प्रयत्न करें। वास्तव में, अन्य देशों के हस्तक्षेप से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ही ये समस्यायें पहले सुलझाई नहीं जा सकी हैं। हाल ही में, भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया और अधिक मैत्रीपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया था और दोनों प्रधान मंत्रियों के सीधे ही एक दूसरे से बातचीत करने के फलस्वरूप इन समस्याओं के सुलझाने में काफ़ी प्रगति हो रही थी। परन्तु यह प्रगति अब रुक गई है और नई कठिनाइयां सामने खड़ी हो गई हैं।

अमरीका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर एक प्रकार से इन समस्याओं में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे भविष्य में भयंकर परिणाम निकलने की सम्भावना है।

इस समय जम्मू और काश्मीर राज्य में युद्ध-विराम रेखा के दोनों तरफ़ संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से बहुत से अमरीकी प्रेक्षक मौजूद हैं। इस झगड़े में हम अब इन अमरीकी प्रेक्षकों की तटस्थ नहीं समझ सकते; इसलिये हम उनका वहां रहना अनुचित दिखाई देता है।

एशिया के देशों पर इस सहायता के जो प्रभाव हो सकते हैं, उनका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूं। एशिया के बहुत से देशों ने एक लम्बी अवधि तक परतन्त्र रहने के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त की है। वे अपनी स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं और हम ऐसी किसी चीज़ को जो उनकी स्वतन्त्रता में बाधा डालेगी हानिकारक और विश्व शान्ति के लिये ख़तरनाक समझते हैं।

हाल ही में, २६ जनवरी को अमरीका के उप-विदेश-मंत्री, श्री वाल्टर एस० राबर्टसन ने अमरीका की कांग्रेस की सदन विनियोग उप-समिति के सामने एक वक्तव्य दिया था। मेरे पास, इस वक्तव्य का कोई सरकारी अभिलेख नहीं है। वक्तव्य २६ जनवरी को दिया गया था और शायद इसे २३ या २४ फरवरी को प्रकाशित किया गया था। इसके बारे में पत्रों म दो प्रकार की रिपोर्टें हैं, परन्तु दोनों का अर्थ एक ही सा है। एक प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने कांग्रेस की सदन विनियोग उप-समिति से यह कहा कि अमरीका को चाहिये कि वह अनिश्चित काल के लिये एशिया में अपना प्रभुत्व जमाये रखे और जब तक चीन का साम्यवादी शासन टूट न जाये तब तक उसके ख़िलाफ़ सैनिक मोर्चा बनाये रखे। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका को एशिया में अनिश्चित काल के लिये उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त होने तक अपनी शक्ति बनाये रखनी चाहिये। चाहे अमरीका अपनी शक्ति बनाये रखना चाहता हो या स्पष्ट रूप से अपना प्रभुत्व जमाना चाहता हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता; उद्देश्य दोनों में एक ही है। जैसा मैं कह चुका हूं, यह वक्तव्य कोई पांच दिन पहले प्रकाशित हुआ है। जहां तक चीन की जनवादी सरकार का सम्बन्ध है, सब जानते हैं कि हमारी और अमरीका की नीति भिन्न है। हम चीन की इस सरकार को मान्यता दे चुके हैं और हमारे उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। इसलिये इस विषय में हमारी और अमरीका की नीति एकदम भिन्न है। हमारे लिये यहां अमरीका के एक ज़िम्मेदार अधिकारी का यह वक्तव्य काफ़ी महत्व रखता है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीका को एशिया पर एक अनिश्चित काल के लिये प्रभुत्व जमाये रखना चाहिये। चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, एशिया के देश, और निस्सन्देह ही भारत इस नीति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वे किसी भी देश के अधीन रहने का विचार नहीं रखते। हमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही हाल की घटनाओं पर, विशेषत: पाकिस्तान को दी

जाने वाली इस सहायता पर विचार करना चाहिये।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस सैनिक सहायता से मुस्लिम देशों को एक करने मे और मज़बूत बनाने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी; उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक नया क़दम उठाया है जिससे वह विश्व के मामलों में अब महत्वपूर्ण भाग लेने के योग्य हो जायेगा। मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की आलोचना करना नहीं चाहता, परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक ग़ैर देश से हथियार लेकर मुस्लिम देश किस तरह शक्तिशाली हो सकेंगे और किस तरह कोई देश दूसरे देश की सैनिक सहायता पर निर्भर होकर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकेगा।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि इस सैनिक सहायता से काश्मीर की समस्या हल करने में सहायता मिलेगी। इससे स्पष्ट है कि उनका दिमाग़ किस तरफ़ चल रहा है और वह किस तरह इस सैनिक सहायता का उपयोग करना चाहते हैं। सैनिक सहायता का लड़ाई में या लड़ाई के ख़तरे में ही उपयोग किया जाता है।

मैं एक बात का और ज़िक्र करना चाहता हूं। हमारे लिये यह एक सोचने की बात है कि विभिन्न देश आपस में सैनिक विषयों पर जो समझौता करते हैं वे संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की भावना के कहां तक अनुकूल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित किया गया था और यह उद्देश्य घोषणा पत्र में उल्लिखित किया गया है। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर विचार करे कि विभिन्न देशों के खास तौर पर जब दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हों, इस तरह सैनिक गठ-बन्धनों में शामिल होने से यह उद्देश्य कहां तक पूरा किया जा रहा है।

यह चीज़ भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में महत्वपूर्ण विषयों पर बहस नहीं होने दी जाती और जब किसी विषय पर बहस होती भी है तो पहले से ही कुछ निर्णय कर लिये जाते हैं जिन्हें, ऐसा मालूम होता है, कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा पर थोप दिया जाता है। तो, यह तरीक़ा नहीं है जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा या जिससे वर्तमान तनाव में कमी हो सकेगी।

इस समय समस्त देशों के लोगों में भय और सन्देह की भावना फैली हुई है। हमें हर मामले को इस दृष्टि से देखना है कि उससे भय और संदेह की इस भावना में वृद्धि होती है या कमी। क्या इसमें कोई सन्देह हो सकता है कि पाकिस्तान को जो सैनिक सहायता दी जा रही है उससे सुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के बजाय भय और संदेह की भावनाओं में और फलतः देशों के बीच तनाव में वृद्धि ही होगी ?

अब ज़रा काश्मीर का मामला लीजिये। सदन इसके लम्बे इतिहास से परिचित है और जानता है कि पिछले दो वर्षों से किस प्रकार अन्य प्रश्नों के साथ इस प्रश्न पर भी विचार हो रहा है कि काश्मीर में जनमत संग्रह करने के अभिप्राय से कितनी सेना रहने दी जाये। अब तक इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका है। अब इस सारे विषय पर एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाना है क्योंकि युद्ध-विराम रेखा के परे पाकिस्तान में बाहरी देशों से सेनायें लाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान उनसे काम ले सके। इस चीज़ से काफ़ी अन्तर पड़ता है। जैसा कुछ समय पूर्व मैंने कहा था, इस सैनिक सहायता से भारत और एशिया में जो संतुलित

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्थिति थी वह बिगड़ गई है । मैं पाकिस्तान अथवा भारत की सैनिक शक्ति के बारे में इतना नहीं सोच रहा था—हालांकि यह भी एक तत्सम्बन्धी विषय है—जितना मेरा मतलब उन सब बातों से था जिनसे यह गड़-बड़ पैदा हो गई है और जिनमें से कुछ की ओर मैं आपका ध्यान दिला चुका हूं ।

भारत किसी भी कार्य के लिये और किसी भी परिस्थिति में अपनी स्वाधीनता का सौदा नहीं करना चाहता ।

मुझे विश्वास है कि इस गम्भीर स्थिति में यह सदन और हमारे देशवासी एकता से काम करेंगे । यह किसी दल का प्रश्न नहीं है । यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिस पर दो मत हो ही नहीं सकते ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं सभा के नेता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभी तक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया है, वे इस विषय पर चर्चा के सम्बन्ध में क्रम-पत्र में प्रस्ताव रखें ताकि विश्व को बताया जा सके कि इस विषय पर सभा उन से सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर के ही कुछ कहूंगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा के लिए तीन दिन अर्थात् १२ घंटे से कुछ कम समय नियत किया गया है । इस में से औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए दो घंटे निकाल लेने पर बहुत कठिनाई होगी । मेरी प्रार्थना है कि आप सदन को बता दें कि क्या और किसी दिन समय दे कर इस की पूर्ति की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर अभी निर्णय करने की बजाये चर्चा आरम्भ करनी चाहिये । फिर यह देख कर कि चर्चा में कितनी बातें कही गई हैं और इसे जारी रखने की आवश्यकता है कि नहीं इस का निर्णय किया जायेगा । यदि आवश्यकता हो तो प्रश्न काल न रख कर अथवा ऐसे अन्य किसी ढंग से कार्य चलाया जा सकेगा ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : इस के अतिरिक्त मेरी यह भी प्रार्थना है कि सरकार को औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की और प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध करनी चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री, श्री गुहा, इस विषय की ओर ध्यान देंगे ?

वित्त उप-मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मुझे इन की ओर से अभी पत्र मिला है । मेरा विचार है कि इस में कुछ समय लग जायेगा । मैं नहीं समझता कि आज ही ऐसा करना संभव है । मुझे अभी इन का पत्र मिला है । मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि कार्यालय यथाशीघ्र प्रतियां भेज दें । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें अपनी प्रति उधार दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक सदस्य को प्रति देने का नहीं है । क्योंकि प्रतिवेदन छपाया गया है । मैं समझता हूं कि प्रतियों की काफ़ी संख्या होगी ही ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यह सदस्यों में परिचालित की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : सब पांच सौ सदस्यों में इसे परिचालित करने की आवश्यकता नहीं जो लेना चाहें उन्हें प्रति मिलनी चाहिये ।

कई माननीय सदस्य : हम सब इस की प्रति चाहते हैं ।